(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक रिव्यु 1842–पीबीआर/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–10–2007 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 571–एक/07.

1– अमरसिंह पुत्र लालजी
2– निर्भयसिंह पुत्र नागुसिंह
3– रणछोड़लाल पुत्र कुंवरजी
4– मानसिंह पुत्र मांगीलाल
निवासीगण ग्राम बमनापति
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– पदमसिंह पुत्र नाथूसिंह आंजना
2– बापुलाल पुत्र रामाजी
3– पीरा पुत्र रामाजी
4– हीरालाल पुत्र रामाजी
5– करणसिंह पुत्र रामाजी
निवासीगण ग्राम बमनापति
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा इंगोरिया, तहसील बड़नगर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बमनापाति स्थित भूमि सर्वे

नम्बर 591 उनके स्वत्व व आधिपत्य की है, जिस पर आने–जाने हेतु सर्वे नम्बर 547/2 के सेडे पर से रास्ते का उपयोग अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 उनके बाप–दादाओं के समय से करते चले आ रहे हैं । उक्त रास्ते को अनावेदक कमांक 1 पदमसिंह आंजना द्वारा बंद कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–13/04–05 दर्ज कर दिनांक 12–9–05 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर जिला उज्जैन के समक्ष दिनांक 23–2–2006 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–6–2006 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–3–07 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25–10–2007 को आदेश पारित कर निरस्त की गई । इस न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 131 के आवेदन पत्र में अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 द्वारा आवेदकगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध करने से रास्ता खुलवाये जाने हेतु न तो कोई अभिवचन किया गया है, न ही इस संबंध में कोई राहत चाही गई है, और न ही आवेदकगण की भूमि से रास्ता होने के संबंध में कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण दिया गया है, फिर भी इस न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है, जो कि पुनर्विलोकन का आधार है । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय निकाला गया निष्कर्ष कि रूढ़िगत रास्ता होने पर भूमिस्वामी का उपस्थित होना महत्वहीन हो जाता है, अभिलेख के विपरीत है, क्योंकि स्थल निरीक्षण में रूढ़िगत मार्ग नहीं पाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि चूंकि आवेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए स्थल निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने का प्रश्न ही नहीं था, और इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह भी अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है । अंत में तर्क

प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित नहीं कर नया रास्ता कायम करने संबंधी इस न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह भी अभिलेख से प्रथम दृष्टया भूल है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई नया रास्ता कायम नहीं किया गया है, और इस न्यायालय को स्वयं प्रकरण प्रत्यावर्तित करना चाहिए था ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 द्वारा अनावेदक कमांक 1 की भूमि में से रास्ते की मांग की गई, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये उनकी भूमि में से रास्ता दिया गया है, जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है, कारण आवेदकगण की भूमि में से अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, और अपर आयुक्त के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश की पुष्टि करने में इस न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अतः इस न्यायालय एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2007 एवं अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–3–07 निरस्त किये जाकर पुनर्विलोकन स्वीकार किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर